



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1217]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2009/श्रावण 16, 1931

No. 1217]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2009/SRAVANA 16, 1931

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2009

का.आ. 2058(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो के परामर्श से, विद्युत वायर, केबल, उपकरण एवं संरक्षण उपकरण तथा सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः :—

1. (1) इस आदेश को विद्युत वायर, केबल, उपकरण एवं संरक्षण उपकरण तथा सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2009 कहा जाए।

(2) सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से यह लागू होगा।

2. विद्युत वायर, केबल, उपकरण एवं संरक्षण उपकरण तथा सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003 की अनुसूची में, सामान्य प्रकाश सेवा हेतु सेल्फ बालास्टेड लैंप संबंधी क्रम संख्या 9 में कॉलम (2) के तहत मौजूदा प्रविष्टि के बाद के टिप्पण को हटा दिया जाए।

[फा. सं. 6(9)/2001-एलईआई]

रेणु शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मुख्य आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में, दिनांक 17 फरवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या के का.आ. 189(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा इसमें का.आ. 165(अ), दिनांक 5 फरवरी, 2004, का.आ. 1172(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2005 तथा का.आ. 512(अ), दिनांक 19 फरवरी, 2009 के द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 7th August, 2009

S.O. 2058(E).—In exercise of powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003, namely :—

1. (1) This Order may be called the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Amendment Order, 2009.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003, in the Schedule, in serial number 9 relating to self ballasted lamps for general lighting services, after the existing entry under column (2), the Note shall be omitted.

[F. No. 6(9)/2001-LE-I]

RENU SHARMA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 189(E), dated the 17th February, 2003, and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 165(E), dated the 5th February, 2004; S.O. 1172(E), dated the 23rd August, 2005 and S.O. 512(E), dated, the 19th February, 2009.